न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2021/261 (Bank Case)
Manual no- 113/2021

"यूको बैंक" प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै. म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता स्थित व कार्यरत है। एवं एक शाखा कार्यालय–एम.बी.एस., नयापुरा, कोटा जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रतिक नगिया

— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स बालाजी एजेन्सी जरिये प्रोपराइटर भैरव नाथ झा (ऋणी)
   पता–एच–1–483–सी, आई.पी.एल.ए., कोटा राजस्थान
2. श्री भैरव नाथ झा पुत्र श्री महाकान्त झा (जमानती / बंधककर्ता)
   पता– 2–यू–13, महावीर नगर 3, कोटा राजस्थान
3. श्री भूपेन्द्र झा पुत्र श्री महाकान्त झा
   पता– 2–यू–13, महावीर नगर 3, कोटा राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 17-11-2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "यूको बैंक" प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै. म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड़) कोलकाता स्थित व कार्यरत है एवं एक शाखा कार्यालय–एम.बी.एस., नयापुरा, कोटा में स्थित है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये खाता संख्या 01390500008722 में दिनांक 02.02.2017 को रुपये 19,40,000/– (अक्षरेः उन्नीस लाख चालीस हजार मात्र), खाता संख्या 01390610023723 में दिनांक 13.10.2006 को रुपये 6,00,000/–(अक्षरेः छ लाख मात्र), खाता संख्या 01390610015049 में दिनांक 03.02.2011 को रुपये 5,00,000/–(अक्षरेः पाच लाख मात्र), खाता संख्या 01390610003862 में दिनांक 13.04.2017 को रुपये 9,00,000/– (अक्षरेः नो लाख मात्र) कुल ऋण राशि रुपये 39,40,000/–(अक्षरेः उनतालीस लाख चालीस हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **बंधक अचल सम्पत्ति Hypothecation of stocks (Stationary Items) एंव भैरव नाथ झा पुत्र महाकान्त झा की आवासीय सम्पत्ति जो कि 2–बी–11, महावीर नगर 3, कोटा, राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि , भवन व ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 45.20 वर्ग मीटर है। जिसकी चर्तुः सीमा उत्तर में– मं. नं. 2–बी–10, दक्षिण में– रोड, पूर्व में– रोड, पश्चिम में– मं. नं. 2–बी–12 है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.03.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 25,64,253.20 (अक्षरेः पच्चीस लाख, चोषठ हजार दो सौ तिरेपन रुपये बीस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 11.06.2021 तक शेष देय है (जिसमें दिनांक 31.12.2020 तक का ब्याज सम्मिलित है) आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से

2

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 11.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 11.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **बंधक अचल सम्पत्ति Hypothecation of stocks (Stationary Items) एंव भैरव नाथ झा पुत्र महाकान्त झा की आवासीय सम्पत्ति जो कि 2–बी–11, महावीर नगर 3, कोटा, राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि , भवन व ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 45.20 वर्ग मीटर है। जिसकी चर्तुः सीमा उत्तर में– मं. नं. 2–बी–10, दक्षिण में– रोड, पूर्व में– रोड, पश्चिम में– मं. नं. 2–बी–12 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17-11-2021 को सुनाया गया

17/11/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

नोट :- आदेश के प्रथम व द्वितीय पेज पर सम्पत्ति पते में (बी) के स्थान पर (V) संशोधन किया। प्रा० पत्र सं. 161/2021 दिनांक 22/12/2021 से

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा